राजस्व वाद 195/2013
जीसीएमएस नंबर 2013/00224
मगनीराम बनाम् जगदीश वगैरह

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 30.09.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रोटू में प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी मगनीराम, मेघराज, चेलाराम, नानकराम, बद्रीलाल, रामी ,मुली व सहीराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि रामदेव, कन्हैयालाल, रतीराम एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि समस्त पक्षकारान् पीडी प्रस्ताव से सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी अंतिम बंटवाड़ा चाहते हैं अतः तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है। पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 से 2 मगनीराम व मेघराज के शामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 29 रकबा 7.17 बीघा पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 4 सहीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 21.02 बीघा में से 07.01 बीघा दक्षिणी भाग रखा गया है।
3. वादी संख्या 5 रामी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 21.02 बीघा में से 07 बीघा उतरी भाग रखा गया है।
4. वादी संख्या 6 मूली देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 30 रकबा 21.02 बीघा में से 07.01 बीघा मध्य भाग रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner